

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

77 / 2020  
13.12.2020

जमना लाल पुत्र फैली मीणा जाति मीणा निवासी पाडली तहसील उनियारा जिला टोंक  
राज०

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला—टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय  
तहसीलदार उनियारा दिनांक 28.09.2020 मिसल नम्बर 1496 / 2020

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 28.04.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 28.09.2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 0.05 है० किस्म चरागाह वाके ग्राम पाडली तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 50/रू. पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का ने मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित जाकर झूठी शिकायत करने पर रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि पर मकान बनाकर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलान्ट के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई साक्ष्य नहीं है। पटवारी के बयानों में पूर्व में बेदखली निर्णय या बेदखली का प्रतिवेदन प्रदर्शित नहीं करवाया है। अपीलान्ट ने कब्जा



जिला कलेक्टर  
टोंक

बावत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 331 रकबा 0.05 है 0 किस्म चरागाह वाके ग्राम पाडली तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान बनाकर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार उनियारा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर तीन माह की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से सिद्ध है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त के पुत्र की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 331 रकबा 0.05 है 0 किस्म चरागाह वाके ग्राम पाडली तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान बनाकर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्त द्वारा दिनांक 27.04.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है, उक्त भूमि पर मेरा कोई कब्जा काशत नहीं है, ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण है। मैंने स्वेच्छा से उक्त भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है, मेरा उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण भी नहीं है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 28.09.2020 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



चिन्मयी  
(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर,  
टोंक